न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2024	2024/9	07.05.2024	14.06.2024

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ :— प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री अजय टांक, सृष्टि श्रृंगार स्टोर, शुभम काम्पलेक्स, देवद रोड मोखमपुरा :— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत

उपस्थिति :—
1. श्री पेरोकार सरकार
2. श्री मोहनलाल कुमावत (अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट)

—: आदेश :— दिनांक :—14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेशानुसार अवैध एलपीजी घरेलु टंकियों के व्यवसाय एवं भण्डारण पर रोकथाम के क्रम में जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं प्रर्वतन निरीक्षण प्रतापगढ़ एवं दल द्वारा दिनांक 12.04.2024 को सृष्टि श्रृंगार स्टोर, शुभम कॉम्लेक्स, देवद रोड़, मोखमपुरा प्रतापगढ़ पर की गई कार्यवाही अन्तर्गत मौके पर कुल 21 गैस सिलेण्डर (HP कम्पनी के कुल 12 में से 9 खाली एवं 02 भरे हुए तथा इण्डेन कम्पनी के कुल 09 भरे हुए गैस सिलेण्डर) के साथ 01 विद्युत चालित रिफलिंग पम्प, रबर पाईप, पीतल की बांसुरी (9) सिलेण्डर कैप 300 पाये गये।

इस संबंध में दुकान संचालक अप्रार्थी श्री अजय टांक से उक्त गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में उपभोक्ता डायरी, बिल वाउचर, एण्ड भण्डारण का कारण एवं भण्डारण के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र, अनुमति संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य तलब किये गये जिनका कोई जवाब/दस्तावेज अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं कर पाया। अप्रार्थी द्वारा सघन आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित अत्यंत घातक एवं प्रलब दुर्घटना कारित सामग्री के दुरूपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 खण्ड 6 की अवहेल्ना होने के कारण उक्त 21 अवैध घरेलु गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफिंलिंग सामग्री को मौके पर आद्या इण्डेन गैस एजेंसी प्रतापगढ़ के प्रतिनिधी श्री तुलसीराम को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सुपुदर्गी में दिए गए है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 A के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 21 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 138.6 किलोग्राम एलपीजी गैस एवं 1 विद्युत चालित रिफलिंग पम्प को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होते हुए वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर प्रस्तुत किये गये।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष अन्तिंम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थी के यहाँ से जब्त गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफिलिंग सामग्री का आवश्यक वस्तु अधिनियम में विहित् प्रावधानों

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

के विपरीत भण्डारित एवं रिफलिंग कार्य कर रहा था, जो किसी भी विधि में मान्य नहीं है और न उसे ऐसी सामग्री भण्डारित करने का अधिकार है। अतः विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को संपुष्ट फरमाते हुए जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

इसी क्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए एवं प्रस्तुत जवाब के हवाले से अवगत कराया गया कि अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री 21 एलपीजी घरेलु गैस सिलेण्डर एवं अन्य रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी की नहीं होकर आस पास के ग्रामों से आने वाले ग्रामीणों की है। अप्रार्थी की दुकान मौखमपुरा चौराहे पर होने से आस पास के ग्रामीणों के खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु रखे हुए थे। जिनकी सप्लाई आने पर उक्त सिलेण्डरों को अप्रार्थी भरवा कर रखता है जिसे उक्त गैस सिलेण्डर के स्वामियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। उक्त गैस सिलेण्डर के स्वामियों की बुकींग डायरियों की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को लौटाने की मांग की गई तथा अवगत कराया कि अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान में गैस चुल्हों की रिपेरिंग का कार्य भी करता है। जिससे उक्त रिफलिंग मोटर का उपयोग रिपेरिंग कार्य के अतिरिक्त नहीं किया जाता है। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल से निर्णित याचिका राकेश कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014(1) मनिसा 102 (म.प्र.हा.को.) 2013 एम.पी.डब्ल्यु.एन. नोट 83 पृष्ठ 233 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि एलपीजी गैस से भरे सिलेण्डर परिवहन करना एवं रखना अवैध नहीं, सिवास यदी यह सीधी स्थिति में परिवहन नहीं किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2024, संलग्न फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा, जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2024, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बुकिंग डायरी प्रतियां तथा प्रस्तुत न्यायायिक विनिश्चय प्रति के साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में वर्णित कथनों अनुसार रसद विभाग जांच दल द्वारा अप्रार्थी के यहाँ की गई कार्यवाही एवं जब्त सामग्री अत्यधिक विस्फोटक होकर अवैधानिक तरिके से भण्डारण एवं रिफलिंग करने के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विहित् प्रावधानों तथा आवश्यक वस्तु वितरण एवं विनिमय नियमों के विरूद्ध संधारित होना दर्शित होता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस के अनुसार उक्त एलपीजी गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं होकर अन्य ग्रामीणों के बताया जाकर गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के अधिकार को साबित नहीं करता है और वक्त जब्ती कार्यवाही के दौरान उक्त गैस सिलेण्डर की डायरिया जांच अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री में गैस रिफलिंग पम्प एवं अन्य सामग्री के प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी द्वारा ऐसी विस्फोटक सामग्री को बिना किसी सक्षम अधिकार और सेफटी मेजर को अपनाये रिफलिंग कार्य करता है जिससे घरेलु गैस सिलेण्डरों के आबादी क्षेत्र में भण्डारण एवं रिफलिंग को किसी भी माध्यम से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी घरेलु गैस सिलेण्डर का पंजीकृत विक्रेता अथवा परिवहन एवं भण्डारण अभिकर्ता होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इसलिए प्रार्थी रसद विभाग जांच दल द्वारा की गई कार्यवाही विधि संगत की गई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के यहाँ से जब्त सामग्री को राजसात की जाकर विधिवत् वितरण प्रणाली में उपयोग करने हेतु संबंधित कम्पनी को नियमानुसार अन्तरित करने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ